



2026:AHC: 46070-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील संख्या- 618/1990

राहीशे उर्फ राहीसे व अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : राम अवध मिश्रा, सिद्धार्थ मिश्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-44

माननीय न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

आपराधिक प्रकीर्ण संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 2 वर्ष 2025 पर आदेश

यह संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 09.12.2025 के निर्णय एवं आदेश में एक अनजाने में हुई त्रुटि के कारण दिया गया है, जिसमें अपीलार्थी संख्या 3, बाकुनी को, इस गलत धारणा के तहत कि वह कारागार में था, यदि वह किसी अन्य वाद में वांछित न हो, तो तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया गया था।

हमारे संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि अपीलार्थी संख्या 3, बाकुनी को दिनांक 05.04.1990 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इस मामले को देखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि हमारे दिनांक 09.12.2025 के निर्णय एवं आदेश का प्रस्तर संख्या 29, जो इन शब्दों से शुरू होता है, "अपीलार्थी संख्या 3, बाकुनी....." और इन शब्दों पर समाप्त होता है "....यदि वह किसी अन्य वाद में वांछित न हो" हटा दिया जाए और उसके स्थान पर प्रस्तर संख्या 29 के रूप में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:

"29- अपीलार्थी संख्या 3, बाकुनी जमानत पर है। उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। उसके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और प्रतिभू उन्मोचित किए जाते हैं।"

दिनांक 09.12.2025 का निर्णय एवं आदेश उपरोक्त सीमा तक संशोधित माना जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तदनुसार संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार) (न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर)

27 फरवरी, 2026

दीपक

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।